


24



क्र. 30672 को

मोहम्मद अली, उपाध्यक्ष, जमा मस्जिद मवरसा हनुमना, तहसील हनुमना,

जिला रीवा, म०प्र० -

--निगरानीकर्ता

दलक अचरुवत 612  
जनसर्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
1.40PM

बनाम

- ✓ 1- मननिकलाल तनय परमसख गुप्ता
- ✓ 2- लल्लुलाल तनय स्व. रामजीत दजी
- 3- हनुमानदास तनय छंगालाल
- ✓ 4- हजारीलाल तनय रामचन्द्र
- ✓ 5- फेमलाल तनय रामचन्द्र
- ✓ 6- डिगनलाल तनय रामचन्द्र
- ✓ 7- शंकरलाल तनय भगवानदास
- ✓ 8- सुरारीलाल तनय शिव प्रसाद
- ✓ 9- राजेश गुप्ता तनय नामालुम

सभी निवासी ग्राम अमहा वासुदेव, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०,

----- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विस्तृत न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला रीवा, म०प्र० के निगरानी प्रकरण क्र. 468-अ-74/2010-11, पारित आदेश दिनांक 30.3.2012 के परिपेक्ष में ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959ई. ।

Acharya  
30/6/12

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1922-दो/2012

जिला रीवा

मोहम्मद अली

विरुद्ध

मानिकलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-3-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 468/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> सदस्य 01.3.19</p>